कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : /प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1/आवंटन/बांध दिनांक : 18 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/134271/2023, दिनांक 04.07.2023 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या-20 राज्य सेक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0/भूमि अधिग्रहण (53-वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रस्तावित Concrete बांध के डिजाइन की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी से Vetting कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 11.80 लाख (रूपये ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) (लागत रू0 10.00 लाख + जी0एस0टी0 रू0 1.80 लाख) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 11.80 लाख का मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण/कार्य का नाम/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
क	20/4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 04-जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00-53-वृहद निर्माण (4700-80-001-04-00-53)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी **(पी0आई0यू0 जमरानी बॉध के निवर्तन पर रखा जायेगा)**	
1	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रस्तावित Concrete बांध के डिजाइन की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी से Vetting कराये जाने हेतु।	11.80
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	**11.80**

(रूपये ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/134271/2023, दिनांक 04.07.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा-

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-111469/09(150)-2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में निर्धारित शर्तों के साथ-साथ बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

... परियोजना मण्डल, जमरानी ...
डायरी नं० 688
... दिनांक 26/7/23
... जमरानी ...

3. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना / विभाग से पोषित / स्वीकृत न हों, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा । कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नही किया जायेगा ।
4. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों एवं निर्गत धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो तत्स्थिति में इस कार्यालय से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय ।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 490 / प्र०अ० / बजट / बी-1 / तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-।।, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
5. प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि स्वीकृत कार्यों हेतु सम्बन्धित खण्ड को उतनी ही धनराशि की मांग प्रेषित करने का कष्ट करें, जितनी धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में हो सके ।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड परियोजना मण्डल हल्द्वानी।
7. अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून की मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

13.7.23

(डी०एस० कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता

सहा० अभि०
ए०ई० अधि०

अधि० अभि०
25/7/23